r. **شری محمد افضل عرف م۔ افضل:** سر۔ یہ الیکشن کا رزلٹ پہلے سے بتا رہے ہیں۔..."مداخلت"...

Liberalisation of Agricultural Land Ceiling Laws

*83. SHRI V. RAJESHWAR RAO:
DR. SHRIKANT RAM-
CHANDRA JICHKAR:†

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) in view of the liberalisation policy whether Government intends to consider suggesting to the state Govemments liberalisation of the Agricultural Land Ceiling Laws in States and to increase the ceiling limits;

(b) if so, whether Government intends to make some study in this direction and in what manner;

(c) whether Government have received representations in this direction; and

(d) whether relaxing or increasing the ceiling limit is beneficial to the people of the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) No, Sir.

(b) Question has not arisen as on date.

(c) No, Sir. But some States like West Bengal and Maharashtra have proposed to undertake amendment in their existing Land Reforms Law for liberalisation of the ceiling norms in favour of the industrial enterprises. However, no State has so far amended the land ceiling laws in this connection.

†[ ]TransIiteration in Arabic script. The Question was actually asked on the floor of the House by Dr. Shrikant Ramchandra Jichkar.

(d) This country adopted ceiling laws on agricultural land since mid 50s and pursued the concept till date. It was always conceived by all the States and Union Government that imposition of ceiling of a maximum holding on agricultural land will increase the distributive justice in respect of the most vital productive assets of the rural areas i.e. land. There is, however, no proposal under consideration of the Government either to relax or to increase the ceiling limit of agriculture land.

MR. CHAIRMAN: Mr. Netam, I understand that this Question relates to rural development. So, are you prepared?

SHRI ARVIND NETAM: Sir, I will try to answer.

DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKER: Sir, there are States which have implemented the land ceiling laws almost fully, for example, Maharashtra and some other States. There are certain other States which have not implemented the land ceiling laws. Will the Minister tell us the names of the States whose performance was best in the area of implementation of the land ceiling laws and also the names of the States whose performance was not so good.

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (डॉ0 जगन्नाथ मिश्र) : सभापति महोदय, सभी राज्यों ने भूमि सीमा संबंधी कानून पारित कर लिया है । सभी राज्यों ने प्रगति की है लेकिन केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की प्रगति अच्छी है लेकिन वहां भी और दूसरे राज्यों में भी बहुत सारी जमीन कानून विवाद में फंसी हुई है । इस समय जो हमने समीक्षा की है, उसके मुताबिक 10,65,000 एकड़ जमीन विवादों में है, 4,57,000 एकड़ जमीन दूसरे कार्यो के लिए विभिन्न राज्य सरकारों ने आरक्षित कर ली है, 4,41,000 एकड़ जमीन ऎसी है जो खेती योग्य नहीं है और इस समय 1,02,000 एकड़ जमीन ऎसी है जो बांटने योग्य है । सभी मुख्य मंत्रियों को हमने कहा है अभी हाल में पत्र के द्वारा कि वे जितनी जमीन बांटने योग्य है, उस जमीन को तत्काल बांटे और जो 10,00,000 एकड़ जमीन विवादों में है, उसके लिए संविधान की धारा 323 बी के तहत विशेष वितरण की स्थापना करके मामलों का शीघ्रता से निष्पादन कराएं और

जिस भूमि को उन्होंने दूसरे कार्यों के लिए आरक्षित कर रखा है, उस जमीन को भूमिहीनों में बांट दें क्योंकि हदबंदी कानून का मुख्य उद्देश्य ही था भूमिहीनों को जमीन देने का । इस समय देश में 7,20,00,000 ऐसे लोग हैं जो भूमिहीन हैं,उन्हें जमीन देनी है । इसलिए इस कानून के तहत जो जमीन प्राप्त हुई है, उसे दूसरे कामों में नहीं लगाया जाए । प्रधान मंत्री जी ने अपना कार्यभार ग्रहण करने के तत्काल बाद 1991 से लेकर 1994 तक अभियान चलवाया । उस अभियान के तहत 3 लाख 14 हजार एकड़ जमीन हासिल की गयी है । इसलिए उदारीकरण की नीति से इस हदबंदी कानून पर कोई असर नहीं पड़ता है ।

DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR: Sir, one million holdings fall below one acre every year. Fragmentation of land holding makes the agricultural land very uneconomical. States like Maharashtra and West Bengal have sought permission of the Union Government for diluting their ceiling laws. In view of all this, it is absolutely necessary to make a overall study of this problem in a broader perspective. In view of this, would the Union Government appoint a high-level commission to go into this and make a study—it is now 50 years that we are implementing these ceiling laws; some States have implemented and some States have not implemented because, since liberalisation, there is a demand for diluting these ceiling laws. So, would the appoint a commission to go into this and let us know or would they ask the Standing Committee on Rural Development or Agriculture to go into this and report to Parliament?

डा0 जगन्नाथ मिश्र : सभापति महोदय, इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि 1972 में सभी राज्यों से विचार करने के बाद योजना आयोग ने गाइड लाइन पारित कर दी और उसी गाइड लाइन के तहत भूमि सुधार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं । उसमें परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है । यह बात सही है कि पश्चिम बंगाल ने, महाराष्ट्र ने, कर्नाटक ने और मध्य प्रदेश ने कुछ संशोधन के प्रस्ताव भेजे हैं पर भारत सरकार ने उस पर अपनी सहमति नहीं दी है क्योंकि भारत सरकार ने उस पर अपनी सहमति नहीं दी है क्योंकि भारत सरकार ने उस पर अपनी सहमति नहीं दी है क्योंकि भारत सरकार की मान्यता है कि भूमि जो अर्जित की जा रही है, वह भूमिहीनों के लिए है और उसे उदारीकरण की नीति के तहत बड़े-बड़े उद्योगपतियों को नहीं दिया जा सकता है । अगर उनको भूमि की आवश्यकता है तो वह सम्मान प्रक्रिया से जमीन अर्जित करें, भूमिहीनों के लिए जो जमीन अर्जित की जा रही है, उस जमीन को उन्हें नहीं दिया जा सकता है ।

DR. GOPALRAO VITHALRAO PATIL: Sir, the hon. Minister has just now stated that surplus land will be distributed amongst the landless. There are laws which 'prevent landless people from purchasing land. But, in Maharashtra, the Government has passed a law under which forest land could be used by private parties, corporations and firms and there is no ceiling on this. Thousands of acre could be acquired. I want to know whether this would lead to a new *Zamindari* system or not.

डा0 जगन्नाथ मिश्र : सभापति महोदय, दूसरे कामों के लिए हदबंदी कानून के अंतर्गत अर्जित जमीन का उपयोग नहीं हो सकता है । वन विभाग की जो जमीन है, वह वन और पर्यावरण मंत्रालय की पूर्वानुमति से ही ग्रहण की जा सकती है । इस कानून के अन्तर्गत जो जमीन अर्जित हो रही है, वह दूसरे कामों के लिए नहीं दी जा सकती ।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा है कि सरकार भूमि सुधार के प्रति प्रतिबद्ध हैं । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि क्या यह सही है कि हमारे देश की आठवीं पंचवर्षीय योजना में यह स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि कृषि उत्पादकता को बढ़ाने में भूमि सुधार सदा से अहम भूमिका अदा करता है और इसी पंचवर्षीय योजना में पश्चिम बंगाल का जिक्र खास तौर पर किया गया है कि पश्चिम बंगाल के अनुभवों को ध्यान में रखना चाहिए । यह हकीकत है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने भूमि सुधार कानूनों पर सही रूप से अमल किया है और पश्चिमी बंगाल सरकार ने बटाईदारों को उनके अधिकार देकर, गरीब किसानों को भूमि देकर उनके अधिकारों की रक्षा की और इसीलिए आज उत्पादकता की दृष्टि से पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा आगे बढ़ता जा रहा है और उसने सारे रिकार्ड तोड़ दिए हैं । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि क्या कारण है कि आपने तमाम आंकड़े दिये है लेकिन इसके बावजूद हम भूमि सुधारों पर सही रूप से अमल नहीं कर पाए?

आपके पास क्या ऐसे राज्यों की सूची है जहां पर भूमि सुधार का कोई कार्यक्रम अमल में ही नहीं लाया गया और मैं यह भी जानना चाहूंगी कि क्या आपने इस बात का सर्वे कराया है कि हमारे देश में हर वर्ष कितने किसान अपनी भूमि खोकर खेत मजदूर बन जाते है? और यह खेत मजदूर फिर इस खेत मजदूरी का काम भी छोड़ कर शहर में आने को बाध्य होते हैं । तो इस दिशा में भूमि-सुधारों पर अमल करने के लिए आप कौन से कारगर कदम उठा रहे हैं,खास कर पश्चिम बंगाल के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए?

डा0 जगन्नाथ मिश्र : सभापति , महोदय, पश्चिमी बंगाल के कार्यो की हम सराहना करते हैं और जो 1957 का एक कानून था हाल में उस कानून को गति दी गई और सभी बट्टेदारों को हक दिए गए पंजीकृत किया गया । अभी हाल में मुख्य मंत्रियों को हमने पत्र लिखा है और हमने पश्चिमी बंगाल की मिसाल उनके सामने पेश की है कि पश्चिमी बंगाल की तरह सभी रैयतों को हक दिए जाएं । लेकिन व्यवधान के कारण या किसी अड़चन के कारण अगर यह नहीं हो रहा है तो कानून में तत्काल संशोधन का प्रस्ताव उनको हमने प्रस्तुत करने के लिए कहा है । इसलिए जिन-जिन राज्यों को हम हिदायत दे रहे हैं कि ये रैयत के, गैर रैयत के जो अधिकार है उनको सुरक्षित किया जाए । जहां तक भूमिहीन बनने का सवाल है जो हमारा अनुमान है इस समय 7 करोड़ 45 लाख भूमिहीन मजदूर है और प्रत्येक साल 20 लाख ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है ।

श्री जलालुदीन अंसारी : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अगर केन्द्र सरकार हदबंदी कानून को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है तो 48 साल आज़ादी के बीत गए इसके बाद भी पूरे देश में भूमि हदबंदी कानूनों को लागू कराने में केन्द्र सरकार पूर्णत: विफल रही है ऐसे तो केरल, बंगाल और महाराष्ट्र की चर्चा है जिसमें तो केरल, बंगाल और महाराष्ट्र की चर्चा है जिसमें केरल और बंगाल ने सही ढ़ंग से लागू किया है । जहां तक बिहार की बात है मैं उदाहरण देता हूं, माननीय मंत्री जी बिहार के ही है, अभी भी तीन सौ से अधिक भूस्वामियों की सूची है जिनके पास हदबंदी से अधिक जमीन है । लेकिन उस जमीन को मौजूदा जो सीलिंग ऐक्ट है उसके अनुसार भी न पूर्ववर्ती सरकारों ने लागू किया न अभी जो सरकार है वह कर रही है । लेकिन इस सरकार ने यह एलान किया है कि वे इसमें संशोधन करना चाहते है । तो मैं यह जानना चाहूंगा कि

बिहार की सरकार केन्द्र से कोई परामर्श किया है कि वे सुधार करना चाहते हैं, सीलिंग को घटाना चाहते है?

मेरा दूसरा सवाल है कि केन्द्र सरकार राज्यों को सिर्फ आग्रह करती है या निर्देश देती है, बल्कि सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को बुला कर अगर आप प्रतिबद्ध है और गंभीर हैं तो बुला करके लैंड सीलिंग लॉ में और भी जो संशोधन करके जो लूपहोल है उन्हें बन्द किया जाये। जिनको हदबंदी से फाजिल जमीन दे दी जाती है , उनको पर्चा दे दिया जाता है, इसके बावजूद भी उस जमीन पर उसका दखल नहीं होता है और मुकदमें में लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक दौड़ता रहता है । इस लूपहोल को अगर बंद नहीं किया जाएगा तो जमीन दी भी जाएगी तो उस पर दखल नहीं होता है । हमारे माननीय मंत्री जी भी जानते हैं तो हम समझते हैं और हमारा सुझाव है कि मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाकर सही ढ़ंग से सीलिंग ऐक्ट लागू करने के लिए केन्द्र सरकार को पहल लेनी चाहिए?

شری جلال الدین انصاری: سبھا پتی مہودے۔ میں آپ کے مادھم سے منتری جی سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر کیندریہ سرکار حد بندی قانون کو لاگو کرنے کیلئے "پرتیبدھ" ہے تو ۴۸ سال آزادی کے بیت گئے اس کے بعد بھی پورے دیش میں بھومی حد بندی قانون کو لاگو کرانے میں کیندریہ سرکار "پورنتے وپھل" رہی ہے۔ ایسے ہی کیرل۔ بنگال۔ اور مہاراشٹر کی چرچہ ہے جس میں کیرل اور بنگال نے صحیح ڈھنگ سے لاگو کیا ہے۔ جہاں تک بہار کی بات ہے میں "اداہرن" دیتا ہوں مانیہ منتری جی بہار کے ہی ہیں۔ ابھی بھی ۳۰۰ سے زیادہ "موسوامیوں کی سوچی" ہے جنکے پاس حد بندی سے زیادہ زمین ہے لیکن اس زمین کو موجود جو سیلنگ ایکٹ ہے اس کے مطابق بھی "پوروورتی" سرکاروں نے کیا۔ نہ ابھی جو سرکار ہے وہ کر رہی ہے لیکن اس سرکار

نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم اسمیں سنشودھن کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں یہ جاننا چاہونگا کہ بہار کی سرکار نےکیندر سے کوئی پرامرش کیا ہے کہ ہم سدھار کرنا چاہتے ہیں۔سیلنگ کو گھٹانا چاہتے ہیں۔

میرا دوسرا سوال ہے کہ کیندر سرکار راجیوں کو صرف "آگرہ " کرتی ہے یا نردیش دیتی ہے بلکہ سبھی راجیوں کے "مکھیہ منتریوں" کو بلاکر اگر یہ" پرتی بدھ" ہیں اور "گمبھیر" ہیں تو بلاکر کے "لینڈ سیلنگ لا" میں اور بھی جو "سنشودھن"

کرکے جو لوپ ہول ہیں جنکو حد بندی سے فاضل زمین دے دی جاتی ہے۔ انکا پرچہ دیہ یا جاتا ہے اسکے باوجود بھی اس زمین پر اسکا دخل نہیں ہوتا ہےاور مقدمہ میں "لوور کورٹ" سے لے کر ہائی کورٹ تک دوڑتا رہتا ہے۔ اس لوپ ہول کو اگر بند نہیں کیا جاتا ہے اگر زمین دی بھی جائیگی تووہ دخل نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے مانیہ منتری جی بھی جانتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں اور ہمارا سجھاؤ ہے کہ مکھیہ منتریوں کو سمیلن" بلا کرصحیح ڈنگ سے سیلنگ ایکٹ لاگوں کرنے کیلئے کیندر سرکار کو پہل لینی چاہئے۔

डा0 जगन्नाथ मिश्र : सभापति महोदय, भारत सरकार भूमि-सुधार के कार्यो के लिए प्रतिबद्ध है । सारे प्रदेशों में जमीन संबंधि जो विवरणी दाखिल की गई थी वह 15 लाख 99 हजार निपटायी जा चुकी हैं 15 लाख 82 हजार । हदबंदी से फरजिल जमीन जो घोषित की गई हैं 74 लाख 10 हजार, जमीन जितनी दखल दी गई है 65 लाख 42 हजार, जो बांटी गई हैं 51 लाख 46 हजार, अनुसूचित जाति के बीच में 35 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के बीच में 14 प्रतिशत जमीन बांटी गई है । जहां तक बिहार का सवाल है, बिहार सरकार भी पिछले 5 वर्षो में ऐसे कार्यो में गति नहीं लाई है । 93 एजार एकड़ जमीन वहां ...(**व्यवधान**)...

श्री जनेश्वर मिश्र : 5 वर्ष पहले जब यह मुख्य मंत्री थे तब क्या हुआ? आप मुख्य मंत्री थे तब क्या हुआ?

डा0 जगन्नाथ मिश्र : बता दे रहे हैं...(**व्यवधान**)... सभापति महोदय, यह 93 हजार एकड़ कांग्रेस शासन के जमाने में ही न्यायालयों मे फंस गई थी लेकिन पिछले 5 साल में इस जमीन को कानूनी पेचीदगियों से निकलने का कोई कार्य नहीं हुआ है । मुख्य मंत्री ने ऐलान किया 1991 में कि इस कानून के दोषों को दूर करने के उपाय किए जाने चाहिए ।चार साल बीत गए, बिहार सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया । अबी हमने उन्हें हिदायत दी है कि हदबंदी कानून के प्रति भारत सरकार प्रतिबद्ध है, इसमें कोई ढ़िलाई या उदासीनता नहीं होनी चाहिए । इसलिए भूमि विवादों को हल करिए, विशेष अदालतों को बनाइए, बोर्ड आफ रिवेन्यू के यहां मामलों को घटाइए । जहां तक प्रोफेसर मिश्र जी ने कहा, हदबंदी कानून में जो प्रगति हुई, उसी जमाने में हुई जिस जमाने में हमारी सरकार बिहार में थी, उसके बाद जनता दल सरकार के जमाने में कोई प्रगति नहीं हुई है, उसी जमाने में हुई जिस जमाने में हमारी सरकार बिहार में थी, उसके बाद जनता दल सरकार के जमाने में कोई प्रगति नहीं हुई है, हदबंदी कानून वहीं का वहीं पड़ा हुआ है । ...(**व्यवधान**)...

SHRI SOMAPPA R. BOMMAI: Firstly, I would like to know from the hon. Minister, during the Congress rule for 35 to 40 years, how much land has been distributed. Why refer only to the four years? After independence, after the Land Reforms Act came into force in Bihar, it was not at all implemented. I agree that it has not been implemented for the last 45 years. Please explain that. There is another thing that I would like to know. There are different ceilings fixed by different States. Because of the new industrial policy, some States are now trying to amend the Land Reforms Act just to make provisions for industrialisation or horticulture, sericulture etc., and they have been announcing it. I would like to know whether the Government of India has taken note of it to see that the interest of the tenants or the landless people who are entitled to the surplus land are not effected.

डा0 जगन्नाथ मिश्र : सभापति महोदय, जैसी कि हमने अभी सूचना दी कि कांग्रेस शासन के भीतर ही 65,40,000 एकड़ जमीन अर्जित की गई, 51,46,000

एकड़ जमीन बांटी जा चुकी है इससे पता लगता है कि प्रगति धीमी नहीं रही पिछले सालों में कांग्रेस शासन के भीतर जहां तक बिहार का सवाल है, वहां भी 2,50,000 एकड़ जमीन अर्जित की गई कांग्रेस शासन के अंदर, बाद के शासन में जमीन अर्जित नहीं हुई है, जो होनी चाहिए थी। जहां तक सवाल अर्जित नहीं हुई है, जो होनी चाहिए थी । जहां तक सवाल है रिलेक्सेशन की सीमा कम करने का , भारत सरकार की सुनिश्चित राय है हदबंदी कानून में न सीमा घटाने की,न बढ़ाने की। चूंकि अनिश्चितता जमीन के मामले में नहीं रहनी चाहिए, चूंकि ग्रामीण जीवन में हम नई शक्ति लाना चाहते है, जो प्रधान मंत्री की व्यग्रता है ग्रामीण जीवन में आर्थिक संरचना करने की, अगर जमीन की अनिश्चितता बनी रहेगी तो गांवों मे स्थिरता नहीं होगी। जब तक जमीन की अनिश्चतता है तभी तक गांवों में तनाव है जो हम बिहार में देख रहे हैं, आंध्र प्रदेश में देख रहे है, कई राज्यों में देख रहे है। इसलिए जमीन के मामले को निष्पादित कर देना चाहिए और फिर सीलिंग कानून में कोई तब्दीली नहीं करनी चाहिए।

जहां तक मुख्य मंत्री, पंजाब का सवाल है, उनकी एक टिप्पणी हमने अखबार में देखी थी। हमने तत्काल उन्हें पत्र लिखा कि जमीन की हदबंदी बढ़ाने का कोई मामला विचार में हो ही नहीं सकता। भारत सरकार ने जो 1972 में फैसला लिया है, उसमें पीछे जाने का कोई प्रश्न ही उठता है। किसी भी मुख्य मंत्री को इज़ाजत भारत सरकार नहीं देगी कि वह हदबंदी कानून में कोई तब्दीली करे । इसी वजह से कर्नाटक के, पश्चिमी बंगाल के, मध्य प्रदेश के और महाराष्ट्र के जो प्रस्ताव आए है, उन पर भारत सरकार ने अपनी अहमति नहीं दी है।

श्री भूपेन्द्र सिंह मान : सर, यह इतना वाइटल ईश्यू है कि इसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए, इसके लिए हाफ-एन-ऑवर डिस्कशन अलाऊ कर दो साहब।

MR. CHAIRMAN: We have had enough discussions on this. I have given more than enough time for this.

श्री भूपेन्द्र सिंह मान : जिस दिशा में यह सवाल जा रहा था, उसके ऊपर तो सवाल पूछे नहीं गए, सर, और दिशा में पूछे गए, सर, और दिशा में पूछे गए, इसलिए इसके ऊपर हाफ-एन-ऑर डिस्कशन अलाऊ कर दीजिए।

MR. CHAIRMAN: Please, Please, I will give you another time.

Prices of Imported Steel Items

*84. SHRI JIBON ROY: Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) the landed price of certain imported Steel items like CR. coils, H. R. coils, G.I. steel, Wire rods and Tin plates during the months of June and July, 1995 *vis-a-vis* stockyard price thereof;

(b) the figure of production during 1994-95 of integrated steel plants against total production and the percentage thereof:

(c) whether it is a fact that around 19% of the total steel produced by SAIL has been semis and it was because of lower landed price of imported value added materials;

(d) whether Government deems it to he dumping: and

(e) the steps Government propose to prevent such dumping in Indian Soil?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL (SHRI SONTOSH MOHAN DEV): (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The landed costs and stockyard prices of HR Coils, CR coils, Wire rods, tinplates and GP Sheets during June' 95 & July' 95 are as follows:

Item	.June'95		July'93	
	Landed cost	Stockyard price	Landed coat	Stockyard price
1	2	3	4	5
	Rs/tonne	Rs./tonne	Rs ./tonne	Rs./tonne
HR coils (Deep Drawing Grade) - 3.15 mm	23,133/-	19,884/-	21.715/-	19,284/-
HR coils (Tube Maker Quality - 2 mm	22,997/-	17.688/-	21.478/-	17.688/-
CR coils (Deep Drawing Grade) - 0.63 mm	30,244/-	22,798/-	30.244/-	23.143/-